सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 80/2016 अपील
पंजीयन दिनांक – 30–08–2016
निर्णय दिनांक – 12–02–2018

1. श्री किशन लाल त्रिवेदी पिता स्व. श्री घासीराम जी त्रिवेदी, निवासी उदयपुर (राज.)
2. श्री नरपत सिंह पिता फूलसिंह जी झाला निवासी झालों का गुड़ा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर, (राज.)
2. श्री परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–76, पानेरी उपवन, फतहपुरा, बेदला रोड़, उदयपुर (राज.)
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपजिला कलक्टर गिर्वा, उदयपुर (राज.)
4. सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ उदयपुर (राज.)

–रेस्पोडेन्टस्

उपस्थित–

1– श्री सुनिल शर्मा – वकील अपीलान्ट्स
2– श्री योगेन्द्र दशोरा – राज्य अभिभाषक

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर गिर्वा दिनांक 03.09.2008..

निर्णय

दिनांक 12.02.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर गिर्वा के निर्णय दिनांक 03.09.2008..के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्रम ईसवाल, तहसील गिर्वा की बिलानाम आराजी भूमि खसरा नं. 756 मी. रकबा 7 बीधा 14 बिस्वा एवं आराजी नं. 683 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम दर्ज थी। दिनांक 20.05.1966 के आदेशानुसार गाव ईसवाल की बिलानाम आ. नं. 756 मी. रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा एवं 683 रकबवा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि आबादी भूमि के लिये विकास पंचायत ईसवाल को देने के आदेश हुए। उक्त आदेशानुसार जरिये नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 24.10.1975 को तहसीलदार गिर्वा द्वारा विकास पंचायत ईसवाल के नाम आबादी मे इन्द्राज किया गया। आबादी विकास के लिए पंचायत को देने तथा उसके बाद पंचायत द्वारा आबादी भूमि में से प्लोट बनाकर निलामी से विक्रय किये गये। जिसमें से एक प्लाट अपीलान्ट संख्या 1 एवं श्री कन्हैयालाल जी त्रिवेदी के नाम 265/– रुपये पर निलामी में छुटी। उक्त वर्णित आराजी में से जो प्लोट अपीलान्ट संख्या 1 के नाम निलामी मे छूटा वह आ. नं. 753 मी में स्थित था। जिसके हाल आराजी नं. 1989 कबा 0.04500 हैक्टर है। विकास ग्रम पंचायत ईसवाल ने जरिये मिसल संख्या 16/61 दिनांक 16.08.61 को जरिये पट्टा सं. 2 से प्रार्थी एवं श्री कन्हैयालाल के नाम पट्टा दिया। दिनांक 25.02.1988 को ही उप पंजीयक उदयपुर से पंजीयन करवा दिया । तब से उक्त वर्णित प्लोट का एक मात्र स्वामी प्रार्थी सं. 1 ही है। प्लाट नं. 5 जो 22 बाई 50 वर्गफीट का अपीलान्ट संख्या 2 को एवं 10 बाई 50 वर्ग फीट अपीलान्ट संख्या 1 को इस प्रकार 1600 वर्ग फीट प्लोट को श्रीमती सलमा खानम व श्रीमती नजमा खानम से विक्रय पत्र द्वारा कय किया गया। विकास पंचायत द्वारा उक्त आबादी भूमि मे दो प्लोट श्री नारायण सिंह के भी है। उक्त वर्णित हाल आराजी नं. 1989 रकबा 0.4500 भूमि में से 0.1300 हैक्टर भूमि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश से सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कराने का आदेश दिया गया। जो राजस्व नियमों के सर्वथा विपरीत है। क्योंकि आबादी भूमि जो कि विकास पंचायत ईसवाल की भूमि है एवं विकास पंचायत ने वादीगण एवं नारायण सिंह को आबादी भूमि में से प्लोट दिया है जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त आबादी भूमि को सार्वजनिक निर्माण विभाग उदयपुर के बजाय वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत उप जिला कलक्टर गिर्वा के न्यायालय पेश किया गया। उपजिला कलक्टर गिर्वा ने वादग्रस्त आराजी बिलानाम आबादी

भूमि किसी के भी खातेदारी में दर्ज नहीं हो सकती है। प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र कृषि भूमि के बाबत नहीं होकर आबादी भूमि होना मानते हुए अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का आदेश दिनांक 03.09.2008 पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 29.01.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2008 को पारित किया गया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 25.03.2010 को हुई। दिनांक 26.03.2010 को अपीलान्ट ने नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल दिनांक 01.04.2010 को प्राप्त होते ही राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में पेश की की गई। राजस्व अपील अधिकारी महो. ने क्षेत्राधिकार/श्रृवणाधिकार नहीं होने से उनके आदेश दिनांक 04.01.2016 को अपील लौटाने के आदेश दिये। तत्पश्चात् अपील आप न्यायालय में पेश की गई है। जिसे दिनांक 03.08.2008 से 10.05.2010 तक की अवधि कन्डोन कर अपील अन्दर मयाद में शुमार की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील के तथ्यों को दौहरात हुए वादग्रस्त आराजी भूमि आबादी भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने भी अपने जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है जो किसी के खाते में दर्ज नहीं हो सकती है तो फिर सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा रेस्पों. संख्या 4 के नाम कैसे दर्ज कर दी गई। जबकि किसी भी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं था। वादग्रस्त भूमि पर से नेशनल हाईवे 76 की रोड़ बनी है जिसमें अपीलान्ट के उक्त प्लोट इस रोड़ बनाने में ले लिये गये जिसका भुगतान अपीलान्ट को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। जबकि उक्त वादग्रस्त प्लोट की जमीन का अवार्ड अपीलान्ट्स को न्याय हित में दिया जाना आवश्यक था। रेस्पों. संख्या 2 ने भी जानबूझकर अपीलान्ट के प्लोट की जमीन के बारे में कोई विवरण रेस्पों. संख्या 3 को नहीं दिया जिससे अपीलान्ट अपने प्लोट के मुआवजा प्राप्त करने से वंचित हो गया। उपरोक्त तथ्यों के मद्दे नजर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय

निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में निम्नलिखित आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि रेस्पों. संख्या 2 ने लेकर सड़क निर्माण कर दिया है जिसका रेस्पों.संख्या 3 ने वादग्रस्त भूमि का अवार्ड अपीलान्ट को जारी नहीं किया है, वह अवार्ड आज की मार्केट वेल्यु के आधार पर अपीलान्ट्स को दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि प्रथमतः अपील धारा 5 मयाद के बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट्स ने दिनांक 03.08.2008 से 10.05.2010 तक की अवधि कन्डोन करने बाबत कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है जबकि दिन– प्रतिदिन का कारण स्पष्ट किया जाना चाहिये था। इसी आधार पर अपील निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाक 03.09.2008 में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं होकर आबादी भूमि होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 इन्द्राज दुरस्ती का निरस्त किये जाने का पारित आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार किये जाने का कथन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गांव ईसवाल, तहसील गिर्वा की बिलानाम आराजी भूमि खसरा नं. 756 मी. रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा एवं आराजी नं. 683 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम दर्ज थी। दिनांक 20.05.1966 के आदेशानुसार गाव ईसवाल की बिलानाम आ. नं. 756 मी. रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा एवं 683 रकबवा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि आबादी भूमि के लिये विकास पंचायत ईसवाल को देने के आदेश हुए। उक्त आदेशानुसार जरिये नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 24.10.1975 को तहसीलदार गिर्वा द्वारा विकास पंचायत ईसवाल के नाम आबादी मे इन्द्राज किया गया। आबादी विकास के लिए पंचायत को देने तथा उसके बाद पंचायत द्वारा आबादी भूमि में से प्लोट बनाकर निलामी से विक्रय किये गये।

उपरोक्त तथ्यों से वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि होना स्पष्ट अंकित है। तथा अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत पेश किया गया है। जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 में कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई

लिपिकीय त्रुटि को इन्द्राज दुरस्ती किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड़ अधिकारी गिर्वा द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम उक्त निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2008 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर